[2020] एस. सी. आर. 429

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड।

वी.

हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

(सिविल अपील सं। 10941-10942 2013 का)

04 मार्च, 2020

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी,

वाइन सरन, एम. आर. शाह और

एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-एस। 13 (2) (क)-शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए जिला मंच

15 दिनों की अवधि, 30 दिनों के अलावा-आयोजित करने की शक्तिः एस का एक नंगे पठन। 13 (2) (क) अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि शिकायत की प्रति जो विरोधी पक्ष को भेजी जानी है, उस मामले (या उस पर प्रतिक्रिया) का अपना पक्ष देने के निर्देश के साथ होनी चाहिए।

शिकायत) 30 दिनों की अवधि के भीतर यह आगे प्रावधान करता है कि 30 दिनों की ऐसी अवधि जिला मंच द्वारा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 15 दिनों से अधिक नहीं-विधायिका ने अपने विवेक से अधिनियम और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट अवधि से अधिक शिकायत या अपील दायर करने का प्रावधान किया है, यदि पक्ष द्वारा पर्याप्त कारण दिया गया है, जो संबंधित प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए-ऐसे किसी भी विवेकाधिकार का प्रावधान नहीं किया गया है।

यू/एस। 13 (2) (क) 45 दिन (30 दिन और 15 दिन) की विस्तारित अवधि के बाद शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए अधिनियम-द्वारा विशेष रूप से धाराओं की उप-धारा (3) के तहत एक प्रावधान अधिनियमित करना। 13 एक विशिष्ट स्पष्टीकरण के साथ कि प्राकृतिक के सिद्धांतों का उल्लंघन

न्याय पर सवाल नहीं उठाया जाएगा जहां धाराओं की उप-धारा (1) और (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया है। 13 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के इरादे का पालन या पालन किया गया है विधायिका स्पष्ट है कि जवाब दाखिल करने के लिए (विरोधी पक्ष द्वारा) समय बढ़ाने से इनकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खंडन या उल्लंघन नहीं होगा। 13 (3) एस में निर्दिष्ट समय सीमा को मजबूत करता है। 13 (2) (क) अधिनियम का इसलिए, विधायिका का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि

-

एस का प्रावधान। 13 (2) (क) शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करने में अधिनियम अनिवार्य है, न कि निर्देशिका।

उसे या मुकदमे के संबंध में ऐसा आदेश देना जो वह उचित समझता है "-यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत है कि न्यायालय के पास 120 दिनों की अधिकतम अवधि से अधिक समय देने के लिए विवेकाधिकार छोड़ दिया गया है, जो कि अपवादात्मक मामलों में हो सकता है-यह ध्यान रखना उचित है कि याचिका दायर न करना लिखित कथन यू/या। VIII, r. 1 संहिता में इस प्रकार दिए गए समय के भीतर संहिता का कोई परिणाम नहीं होता है-जबकि,

एस की उप-धारा (2) (बी) (ii)। 13 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट रूप से शिकायत के परिणाम के लिए पूर्व में कार्रवाई करने का प्रावधान है।

यदि विरोधी पक्ष दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है या चूक जाता है-एक बार जब समय के भीतर शिकायत का जवाब दाखिल नहीं करने के लिए परिणाम प्रदान किए जाते हैं, तो विरोधी पक्ष के खिलाफ पक्षकार

निर्दिष्ट किया गया है, और यह आगे प्रदान किया गया है कि अनुपालन करने वाली कार्यवाहियां एस की उप धारा (1) और (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ। 13 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा।

किसी भी न्यायालय का इस आधार पर कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, विधायिका का इरादा पूरी तरह से स्पष्ट है कि एस के प्रावधान। 13 (2) (क) शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करने में अधिनियम अनिवार्य है, न कि निर्देशिका-या के प्रावधान। VIII, आर. 1 संहिता की निर्देशिका अनिवार्य नहीं है, हालांकि, यह एस के प्रावधानों से निपटने वाले मामलों पर लागू नहीं होगी। 13 (2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, या ऐसा अन्य अधिनियम जिसमें एस के समान कोई प्रावधान हो। 13 (2) वहाँ है और परिणाम भी प्रदान किए जाते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-एस। 13 - 30 दिनों की सीमा यू/एस। 13 1986 के अधिनियम का प्रारंभ बिंदु-आयोजितः

सब न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

एस की धारा (2) (ए) और (2) (बी)। 13 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि यह शिकायत की एक प्रति है जो उपभोक्ता को दी जानी है।

विरोधी पक्ष ने उसे एक के भीतर मामले का अपना संस्करण देने का निर्देश दिया

30 दिनों की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि, 15 दिनों से अधिक नहीं-इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान से ही, यह स्पष्ट है कि यह स्वीकार की गई शिकायत की प्रति है जिसे प्रस्तुत किया जाना है, जिसके बाद जवाब दाखिल करने की अवधि शुरू होगी-इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 के विनियम 10 में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी निर्दिष्ट की गई है, जिसके साथ शिकायत की प्रति भी होनी चाहिए-इसलिए, सीमा का प्रारंभिक बिंदु

30 दिनों का यू/एस। 13 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा विपरीत पक्ष द्वारा शिकायत के साथ सूचना की प्राप्ति की तारीख से होगी, न कि केवल शिकायत की सूचना की प्राप्ति।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः क्या जिला फोरम के पास विस्तार करने की शक्ति है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) के तहत परिकल्पित 30 दिनों के अलावा, 15 दिनों की अवधि के बाद शिकायत का जवाब दाखिल करने का समय?

1. अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिकायत की प्रति जो उन्हें भेजी जानी है।

दिन होते हैं। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि 30 दिनों की ऐसी अवधि जिला मंच द्वारा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 15 दिनों से अधिक नहीं। [पैरा 8] [447-सी-डी] 2. उप-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की धारा (2) (ए) विरोधी पक्ष को अपना जवाब देने का प्रावधान करती है।

' 30 दिनों की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जो 15 दिनों से अधिक न हो जो जिला मंच द्वारा दी जाए। की मंशा

विधायिका बहुत स्पष्ट प्रतीत होती है कि विरोधी पक्ष को 30 दिनों का समय मिलेगा, और इसके अलावा फोरम के विवेक पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और 15 दिन का समय मिलेगा। आगे नहीं। अधिनियम के तहत 45 दिनों से अधिक समय देने का विवेकाधिकार है। [पैरा 13] [448-डी-ई]

3. विधायिका ने अपने विवेक में [2020] 5 एस. सी. आर. के तहत निर्दिष्ट अवधि से आगे शिकायत या अपील दायर करने का प्रावधान किया है।

अधिनियम और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधान, यदि पक्ष द्वारा दिया गया पर्याप्त कारण है, जो पक्षकार की संतुष्टि के लिए होना चाहिए।

संबंधित प्राधिकारी। इस तरह का कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया है 45 की विस्तारित अवधि के बाद शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) के तहत

दिन (30 दिन और 15 दिन)। यदि विधायिका इस तरह के प्रावधान को अनिवार्य नहीं बल्कि केवल निर्देशिका बनाना चाहती थी, तो जवाब दाखिल करने की अवधि को आगे बढ़ाने का प्रावधान

45 शिकायत और अपील दायर करने के मामलों के लिए दिनों का प्रावधान किया गया है। कानून के किसी विशिष्ट प्रावधान में कोई अपवाद बनाना अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह कानून बनाने या कानून में कोई प्रावधान डालने के बराबर होगा, जिसकी अनुमति नहीं है। [पैरा 17] [449-जी-एच; 450-ए]

4. विशेष रूप से उप-धारा के तहत एक प्रावधान लागू करके

(3) धारा 13 के एक विशिष्ट स्पष्टीकरण के साथ कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, जहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन या अनुपालन किया गया है।

के साथ, विधायिका का इरादा स्पष्ट है कि जवाब दाखिल करने के लिए समय के आगे विस्तार से केवल इनकार (इसके विपरीत) पक्षकार) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अस्वीकार या उल्लंघन नहीं करेगा। धारा 13 (3) का यह प्रावधान समय को मजबूत करता है।

अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) में निर्दिष्ट सीमा। [पैरा 17] [450-बी-सी]

5. यह सच है कि न्याय में जल्दबाजी न्याय को दफन कर देने के बराबर है। लेकिन उसी सांस में यह भी कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार है। विधायिका ने बाद वाले को चुना है, और एक अच्छे कारण के लिए। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ जाता है, जो उपभोक्ता को त्वरित न्याय प्रदान करना है।

उपभोक्ता। ऐसा नहीं है कि शिकायत का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय विरोधी पक्ष को देने से इनकार कर दिया गया है। यह सिर्फ इतना है कि 15 दिनों (30 दिनों की अवधि के बाद) से आगे समय बढ़ाने के विवेकाधिकार को कम कर दिया गया है और इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (बी) (ii) के तहत परिणाम प्रदान किए गए हैं। यह हो सकता है कि कुछ मामलों में विरोधी पक्ष

इस तरह के प्रावधान के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो उपभोक्ता विवादों का त्वरित और सरल निवारण है, किसी पक्ष को होने वाली कठिनाई को नजरअंदाज करना पड़ता है। [पैरा 20] [452-बी-डी] न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

6. यह आगे तर्क दिया गया है कि की भाषा

यह आदेश देता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्दिष्ट ऐसे प्रावधानों को छोड़कर संहिता के प्रावधानों के उपयोग से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके तहत बनाए गए विनियम, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (4) में उल्लिखित विशिष्ट मामलों के संबंध में प्रदान किए गए हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि संहिता के आदेश VIII नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल न करने के बाद इस तरह से प्रदान किए गए समय के भीतर ऐसा दाखिल न करने का कोई परिणाम नहीं होता है।

कोड में। अब, संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह उल्लेखनीय है कि आदेश VIII नियम 1, जिसे आदेश VIII नियम 10 के साथ पढ़ा जाता है, यह निर्धारित करता है कि आदेश VIII नियम 1 के तहत प्रदान की गई अधिकतम 120 दिनों की अवधि वास्तव में निम्नलिखित के लिए नहीं है -

अनिवार्य, लेकिन केवल निर्देशिका। आदेश VIII नियम 10 आदेश देता है कि

जहां आदेश VIII नियम 1 के तहत दिए गए समय के भीतर लिखित बयान दायर नहीं किया जाता है, "अदालत उसके खिलाफ निर्णय सुनाएगी, या मुकदमे के संबंध में ऐसा आदेश देगी जो वह उचित समझे।" इन प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण निर्माण स्पष्ट रूप से संकेत है।

इस तथ्य का कि न्यायालय के पास 120 दिनों की अधिकतम अवधि से अधिक समय देने का विवेकाधिकार छोड़ दिया गया है, जो असाधारण मामले। दूसरी ओर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) (बी) (ii) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है -

यदि विरोधी पक्ष दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने में चूक करता है या विफल रहता है, तो विरोधी पक्ष के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाने वाली शिकायत का परिणाम। [पैरा 21] [452-ई-एच; 453-ए-बी]

7. एक बार जब निर्दिष्ट समय के भीतर शिकायत का जवाब दाखिल नहीं करने के लिए परिणाम प्रदान किए जाते हैं, और यह है

इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (1) और (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने वाली कार्यवाही पर किसी भी [2020] 5 एस. सी. आर. में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

न्यायालय इस आधार पर कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, विधायिका का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 2 (ए) के प्रावधान में जवाब दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट की गई है। शिकायत अनिवार्य है, निर्देशिका नहीं। [पैरा 21] [453-एफ-जी]

8. यह देखने के बाद कि जिला मंच द्वारा शिकायतों पर निर्णय लेने में देरी हो रही थी, विधायिका ने उप जोड़ा

दाखिल किए गए मामलों के निपटारे के लिए समय बढ़ाने का प्रावधान करते हुए, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, विधायिका ने एक फोरम को विवेकाधिकार है कि जहां भी आवश्यक हो, समय के विस्तार का प्रावधान किया जा सकता है, और जहां ऐसा आगे विस्तार नहीं दिया जाना है [जैसा कि धारा 13 (2) (ए) के मामले में], विधायिका ने जानबूझकर इसके लिए प्रावधान नहीं किया है, ताकि -

अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करना। [पैरा 22] [453-एच; 454-ए-बी] उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13 के तहत 30 दिनों की सीमा का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा?

9. इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, यह न्यायालय पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण कर सकता है और इसके तहत बनाए गए नियम। उप-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की धारा (2) (ए) और (2) (बी) निर्दिष्ट करती है कि

शिकायत की प्रति जो विरोधी पक्ष को दी जानी है, उसे 30 दिनों की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि, जो 15 दिनों से अधिक न हो, के भीतर मामले का अपना पक्ष देने का निर्देश देती है। इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान से ही यह स्पष्ट है कि यह स्वीकार की गई शिकायत की प्रति है जिसे प्रस्तुत किया जाना है, जिसके बाद जवाब दाखिल करने की अवधि शुरू होगी। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 का विनियम 10 भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, जिसके साथ शिकायत की प्रति भी होनी चाहिए। विनियम 10 (5) स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि

" नोटिस के साथ, शिकायत की प्रतियां, अपील के आधार का ज्ञापन, याचिकाएं जैसा भी मामला हो और दायर किए गए अन्य दस्तावेज विरोधी पक्ष (यानी)/प्रतिवादी (ओं) को दिए जाएंगे। यही बात यह भी स्पष्ट करेगी कि यह न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी की एक प्रति की सेवा में है।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

शिकायत की कि प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि विपरीत पक्ष द्वारा शुरू किया जाएगा। [पैरा 37] [461-एफ-एच; 462-ए]

10. अब उपभोक्ता के प्रावधानों पर लौटते हुए

संरक्षण अधिनियम, धारा 13 की उप धारा (2) के खंड (ए) और (बी) को एक साथ पढ़ने से यह स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत 30 दिनों की सीमा का प्रारंभिक बिंदु शिकायत की एक प्रति के साथ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से होगा, न कि केवल प्राप्ति।

शिकायत में किए गए अभिकथनों के लिए, जैसा कि नोटिस का जवाब निर्धारित समय के भीतर दिया जाना है और जब तक शिकायत की एक प्रति विपरीत पक्ष को नहीं दी जाती है, वह अपना जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा। इस प्रकार, शिकायत की प्रति की सेवा के बिना केवल नोटिस की सेवा पर्याप्त नहीं होगी और अधिनियम की उपरोक्त धारा के तहत 30 दिनों का प्रारंभिक बिंदु नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह न्यायालय स्पष्ट कर सकता है कि नोटिस के साथ शिकायत की प्रति प्राप्त नहीं होने की आपत्ति पहली तारीख को ही उठाई जानी चाहिए और उसके बाद नहीं, अन्यथा यदि बाद में किसी भी समय उठाई जाने की अनुमति दी जाती है, तो अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा, जो उपभोक्ता विवादों का सरल और त्वरित निवारण प्रदान करना है।

[पैरा 40] [463-डी-एफ]

11. अंत में, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जिला मंच के पास आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है।

उपभोक्ता की धारा 13 के तहत परिकल्पित 30 दिनों के अलावा 15 दिनों की अवधि के बाद शिकायत का जवाब

संरक्षण अधिनियम; और दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत 30 दिनों की सीमा का प्रारंभिक बिंदु विपरीत पक्ष द्वारा शिकायत के साथ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से होगा, न कि केवल शिकायत की सूचना की प्राप्ति। [पैरा 41] [463-जी-एच; 464-ए]

डॉ. जे. जे. मर्चेंट बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी (2002) 6 एस. सी. सी. 635 [2002] 1 पूरक। एस. सी. आर. 469-सही कानून है। रोहिताश कुमार बनाम। ओम प्रकाश शर्मा (2013) 11 एस. सी. सी. 451 [2012] 13 एस. सी. आर. 47; लक्ष्मीनारायण आर. भट्टड बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2003) 5 एससीसी 413:

[20

03] 3 [2020] 5 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससीआर 409; पी. एम. लता बनाम। केरल राज्य (2003) 3 एससीसी

541 : [2003] 2 एस. सी. आर. 653; नसीरुद्दीन बनाम। सीता राम

अग्रवाल (2003) 2 एससीसी 577: [2003] 1 एससीआर 634; ई।

पलानीसामी बनाम. पलानीस्वामी (2003) 1 एस. सी. सी. 123; भारत

हाउस वी। किशन एन. लालवानी (2003) 9 एससीसी 393: [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 522; भारत संघ बनाम। टेको त्रिची

इंजीनियर और ठेकेदार (2005) 4 एस. सी. सी. 239: [2005] 2

एस. सी. आर. 983 पर भरोसा किया।

लछमी नारायण बनाम। भारत संघ (1976) 2 एससीसी 953:

[1976] 2 एस. सी. आर. 785; भीकराज जयपुरिया बनाम। भारत संघ

[2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 505; पोपत बहिरू गोवर्धन वी. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 10 एस. सी. सी. 765:

[2013] 8 एस. सी. आर. 241-संदर्भित। एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम के. एस. चमनकर

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (2019) 12 एससीसी 210: [2019] 3 एस. सी. आर. 1050; टॉपलाइन शूज लिमिटेड बनाम निगम

बैंक (2002) 6 एससीसी 33: [2002] 3 एससीआर 1167-संदर्भित

को।

(2005) 6 एससीसी 344: [2005] 1 पूरक। एससीआर 929; एन. आई. ए. बनाम. हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण (2015) 16 एस. सी. सी. 22;

नाहर एंटरप्राइजेज बनाम। हैदराबाद ऑलविन लिमिटेड (2007) 9

एससीसी 466: [2007] 2 एस. सी. आर. 413-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1976] 2 एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[1962] 2 एससीआर 880

पैरा

18

संदर्भित किया गया है

[2004] 5 पूरक। एससीआर 505

पैरा

18

संदर्भित किया गया है

[2013] 8 एससीआर 241

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[2012] 13 एससीआर 47

उस पर भरोसा करें

पैरा

18

[2003] 3 एससीआर 409

उस पर भरोसा करें

पैरा

19

[2003] 2 एससीआर 653

उस पर भरोसा करें

पैरा 19 न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

[2003] 1 एससीआर 634

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

(2003) 1 एससीसी 123

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2002] 5 पूरक। एससीआर 522

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2019] 3 एससीआर 1050

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[2002] 3 एससीआर 1167

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

[2002] 1 पूरक। एससीआर 469

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2005] 3 एससीआर 289

संदर्भित किया गया है

पैरा

27

[2005] 1 पूरक। एससीआर 929

संदर्भित किया गया है

पैरा

27

(2015) 16 एससीसी 22

संदर्भित किया गया है

पैरा

27

[2007] 2 एससीआर 413

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[2005] 2 एससीआर 983

उस पर भरोसा करें

पैरा

39

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 10941

—

10942 2013 से।

22.08.2013 और 30.09.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा क्रमशः 2013 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 52 और 2013 की समीक्षा आवेदन संख्या 309 में

के साथ

सिविल अपील सं। 8343 2014 का, 1083-1084,1085-1086,4473,6095,

5485 , 10129 , 10127 , 10333 , 10858 2016 का 780,4457,2339,4510,5219,2017 का 10226,12456,1964,1965,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975, 1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,2020 का 1985-1986।

ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , लव कुमार अग्रवाल, सुश्री उषा गर्ग,

वैभव सैनी, अखिल सैनी, सुश्री शशि कांत मेहरोत्रा, कुंदन कुमार

लाल, शिवम सिंह, गोपाल सिंह, गुरप्रीत सिंह गुप्ता, जयदीप खन्ना, आदित्य रैना, उदियन शर्मा, विकास मेहता, सुश्री मालविका कालरा, अपूर्व खातोर, आदित्य नायर, हेमंत गुप्ता, सुश्री सुनक्षी गुप्ता, आलोक शर्मा, तुषार शर्मा, जिनेंद्र जैन, विष्णु मेहरा, ए. एन. मेहरोत्रा, सुश्री सिमरान मेहरोत्रा, अनंत एम., सुश्री मंजीत चावला, निशित अग्रवाल, हर्ष मिश्रा, श्रेय कपूर (मेसर्स के लिए)।), शेषलपा साई बंडारू, [2020] 5 एस. सी. आर.

मीनाक्षी चटर्जी, अरुण अग्रवाल, सुश्री अंशिका अग्रवाल, सुश्री शुभी अग्रवाल, सुश्री सलोनी शरण, विवेक सलाथिया, मुकेश कुमार सिंह, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मोहित कौशिक, अमित, आशुतोष चतुर्वेदी, शांतनु जुगटावत, गुरुदत्त अंकोलकर, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, चंद्र मोहन अनीसेट्टी, डॉ. ई. शेषगिरी राव, मैबम एन. सिंह, प्रमोद दयाल, बद्री प्रसाद सिंह, सुश्री नेहा चौधरी, सुनील के. खत्री, सुदीप कुमार, सुश्री मयूरी रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, सुश्री.

संग्या नेगी, वैश्य के. शर्मा, ओ. पी. गग्गर, आदित्य गग्गर, सचिंद्र कर्ण, उदय गुप्ता, हीरेन दासन, चंद कुरैशी, सुश्री शिवानी एम. लाल, हेमंत कुशवाहा, हरीश दासन, एम. के. त्रिपाठी, श्रीमती सरला चंद्र, ए. एन. अरोड़ा, शेखर राज शर्मा, सतीश गल्ला, सुश्री उषा

रानी गारा, एन. राजारमन, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, विशाल गेहराना, अनमोल जस्सल (मेसर्स के लिए)।), शेखर कुमार, श्रीमती प्रिया पुरी, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, श्रीमती मयूरी नय्यर, सुश्री ऐनी मैथ्यू, सुश्री श्रुति जोस, डी. भरत कुमार, ताडीमल्ला भास्कर गौतम, विशाल अरुण, नितिन एस. तंबवेकर, शेषलता साई बंडारू, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, एस. महेंद्रन, अमित शुक्ला, देवा शुक्ला, वरुण पुनिया, भाविन आर. भाटिया, अर्पित राय, अमोघ सिंह, संजीव आर. सिंह, अविरल कश्यप, रितेश। अग्रवाल, तेजास भाटिया, ऐश्वर्या अदलखा, हिमांशु शेखर, कुमार मिहिर, विवेक कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, गौरव शर्मा, प्रतीक भाटिया, एम. टी. जॉर्ज, सुश्री सुसी अब्राहम, जॉन्स जॉर्ज, उमेश कुमार खेतान, राहुल गुप्ता, रंजी दुबे, सुश्री सृष्टि शर्मा, यति शर्मा, शिव राम शर्मा, डॉ. हरीश उप्पल, तिलश्च प्रसाद, आदित्य नायर,

सुश्री अनुश्री मेनन, गगन गुप्ता, दिव्या शर्मा, सूर्यज्योति सिंह, गौतम दास, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वाइन सारन, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस संविधान पीठ को दिया गया संदर्भ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में 'अधिनियम') के प्रावधानों के तहत शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए समय देने से संबंधित है। पहला प्रश्न यह है कि क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (ए), जो प्रत्यर्थी/विरोधी पक्ष द्वारा दाखिल करने का प्रावधान करती है। 30 दिनों के भीतर शिकायत पर उसकी प्रतिक्रिया या ऐसी विस्तारित अवधि, जो 15 दिनों से अधिक नहीं है, को अनिवार्य या निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाना चाहिए; अर्थात्, क्या जिला फोरम के पास प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति है

15 दिनों की अवधि से आगे, 30 दिनों के अलावा। दूसरा प्रश्न जो निर्दिष्ट किया गया है वह यह है कि उपरोक्त धारा के तहत निर्धारित 30 दिनों की सीमा का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा।

3. पहला प्रश्न इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सिविल अपील में पारित एक आदेश के माध्यम से भेजा गया था।

नहीं। 1083-1084 2016 का मेसर्स भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड बनाम मेसर्स ग्रैंड वेनेज़िया बायर्स एसोसिएशन (रेग), जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" इन फैसलों के बीच एक स्पष्ट टकराव है।

कोर्ट इन टॉपलाइन शूज़ लिमिटेड बनाम। निगम बैंक [(2002) 6 एस. सी. सी. 33], कैलाश बनाम नानखु [(2005) 4 एस. सी. सी. 480], सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2005) 6 एस. सी. सी. 344] एक ओर और जे. जे. व्यापारी और ओआरएस। बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी (2002) 6 एस. सी. सी. 635 और एन. आई. ए. बनाम हिल्ली बहुउद्देशीय दूसरी ओर जहां तक न्यायालयों की लिखित दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति है, शीत भंडारण [2014 ए. आई. ओ. एल. 4615]

शिकायत का बयान/जवाब संबंधित है। इससे पहले

निर्णयों की उल्लिखित पंक्ति का विचार है कि सिविल के आदेश 8 नियम 1 सहित प्रासंगिक प्रावधान

प्रक्रिया संहिता, 1908 प्रकृति में निर्देशिका है और संबंधित न्यायालयों के पास लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति है। निर्णयों की दूसरी पंक्ति जो समन्वित पीठों की भी है, हालांकि एक विपरीत दृष्टिकोण रखती है और यह मानती है कि जब उपभोक्ता मंच की शक्ति की बात आती है तो विस्तार करने के लिए

उत्तर दाखिल करने के लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

20] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चूंकि यहां निर्धारण के लिए जो सवाल आता है, वह अक्सर उपभोक्ता मंचों और आयोगों के सामने आता है

यदि संघर्ष को एक आधिकारिक निर्णय द्वारा हल किया जाता है तो यह देश के लिए अधिक उपयुक्त होगा। इसके अलावा चूंकि विवाद तीन न्यायाधीशों वाली पीठों के बीच है, इसलिए हम इन अपीलों को पांच-न्यायाधीशों की पीठ को भेजना उचित समझते हैं ताकि संघर्ष को हमेशा के लिए हल किया जा सके। जबकि हम ऐसा करते हैं, हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि सामान्य तौर पर दो-न्यायाधीशों की पीठ को पहले तीन-न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ देना चाहिए, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संघर्ष तीन न्यायाधीशों वाली समन्वित पीठों के बीच है, तीन न्यायाधीशों का संदर्भ नहीं हो सकता है। काफी है "।

4. दूसरा सवाल इस अदालत की एक अन्य खंड पीठ द्वारा इसी अपील में पारित एक आदेश द्वारा भेजा गया है।

सिविल अपील संख्या (ओं) होना। 10941-10942 2013 में, एन. आई. ए. बनाम हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण प्रा. लिमिटेड, निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

.... अधिनियम की धारा 13 में निर्धारित 30 दिनों की सीमा का प्रारंभिक बिंदु क्या होना आवश्यक है

अधिकृत रूप से निर्णय लिया। जे. जे. मर्चेंट के मामले में की गई घोषणा कि उक्त अवधि की गणना विरोधी पक्ष या शिकायत द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से की जानी है अधिनियम के तहत हमारी विनम्र राय में, अधिक आलोचनात्मक की आवश्यकता है

विश्लेषण "। 5. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है

और अभिलेखों को ध्यान से देखा है।

6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, पैराग्राफ 4 में, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम "त्वरित और सरल निवारण प्रदान करने के लिए है। उपभोक्ता विवादों के लिए, एक अर्ध-न्यायिक तंत्र की मांग की जाती है

जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर स्थापित। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रस्तावना में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह अधिनियम "उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए है"। द.

इस अधिनियम के नामकरण से यह भी पता चलता है कि यह उपभोक्ता के लाभ या सुरक्षा के लिए है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम शीघ्रता से वी इंडिया एस्योरेंस कंपनी के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

उपभोक्ता विवादों का साल और वह, यह सुरक्षा और लाभ के लिए है

ई उपभोक्ता।7. इससे पहले कि हम प्रश्नों का विश्लेषण और निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ें, हम तैयार संदर्भ के लिए, प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके विनियम।

" धारा 13. शिकायत स्वीकार करने की प्रक्रिया।

(1) जिला फोरम, शिकायत स्वीकार करने पर, यदि -

यह किसी भी माल से संबंधित है,

(क) 21 के भीतर स्वीकार की गई शिकायत की एक प्रति भेजें।

विरोधी पक्ष में इसके प्रवेश की तारीख से दिन

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उसे तीस दिनों की अवधि के भीतर मामले का अपना पक्ष देने का निर्देश दिया जाए या ऐसी विस्तारित अवधि जो पंद्रह दिनों से अधिक न हो जो शिकायतकर्ता द्वारा दी जाए।

जिला फोरम।

(बी)।

(सी)।

(डी)।

(ई).....

(जी)। (2) जिला फोरम, यदि उसके द्वारा शिकायतें स्वीकार की जाती हैं

धारा 12 के तहत उन वस्तुओं से संबंधित है जिनके संबंध में

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है, या

यदि शिकायत किसी सेवा से संबंधित है,

(क) ऐसी शिकायत की एक प्रति विरोधी पक्ष को भेजें जिसमें उसे तीस दिनों की अवधि या पंद्रह दिनों से अधिक की विस्तारित अवधि के भीतर मामले का अपना पक्ष देने का निर्देश दिया जाए।

जिला फोरम द्वारा प्रदान किया जा सकता है; (ख) जहां विरोधी पक्ष, की एक प्रति की प्राप्ति पर

खंड (ए) के तहत उसे संदर्भित शिकायत, शिकायत में निहित आरोपों से इनकार या विवाद करती है, या दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहती है।

जिला मंच द्वारा, जिला मंच उपभोक्ता विवाद को निपटाने के लिए आगे बढ़ेगा,

(i) शिकायतकर्ता और विरोधी पक्ष द्वारा उसके संज्ञान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर, जहां विरोधी पक्ष शिकायत में निहित आरोपों से इनकार करता है या विवाद करता है,

या ((ii) शिकायतकर्ता द्वारा अपने संज्ञान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर जहां विरोधी पक्ष द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कार्रवाई करने में चूक या विफल रहता है।

(ग) जहाँ शिकायतकर्ता जिला मंच के समक्ष सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला मंच या तो उपस्थित हो सकता है। गलती के लिए शिकायत को खारिज कर दें या गुण-दोष के आधार पर निर्णय लें।

(3) उप-धारा (1) और (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने वाली किसी भी कार्यवाही पर किसी भी न्यायालय में इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में

अनुपालन नहीं किया गया।

[(3 क) प्रत्येक शिकायत की सुनवाई जितनी जल्दी हो सके की जाएगी और विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा, जहां शिकायत के लिए वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है और पांच महीने के भीतर, यदि -

इसके लिए वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता होती हैः

बशर्ते कि जिला फोरम द्वारा सामान्य रूप से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा जब तक कि पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाता है और स्थगन देने के कारण दर्ज नहीं किए जाते हैं।

फोरम द्वारा लिखित रूप में: बशर्ते कि जिला मंच स्थगन के कारण होने वाले खर्चों के बारे में ऐसे आदेश देगा जो हो सके

इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों में प्रावधान किया जाएगा। बशर्ते कि इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के बाद किसी शिकायत के निपटारे की स्थिति में, जिला मंच उक्त शिकायत के निपटारे के समय उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।]

2002 का अधिनियम 62, धारा. 9 (डब्ल्यू. ई. एफ. 15-3-2003)।

वी इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

2 [(3 ख) जिला फोरम के समक्ष किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जहां यह आवश्यक प्रतीत होता है, वह ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जो तथ्यों में न्यायसंगत और उचित हो और

मामले की परिस्थितियाँ।]

((iv) उपयुक्त प्रयोगशाला या किसी अन्य प्रासंगिक स्रोत से संबंधित विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की मांग; (v) किसी भी गवाह की परीक्षा के लिए कोई आयोग जारी करना, और

((vi) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। 5 .....

6 .....

7 .....

धारा 15. अपील करें। — जिला फोरम द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य आयोग में ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।

निर्धारित किया गयाः

बशर्ते कि राज्य आयोग तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था;

2002 का अधिनियम 62, धारा. 9 (डब्ल्यू. ई. एफ. 15-3-2003)।

बशर्ते कि जिला फोरम के आदेश के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति की किसी भी अपील पर राज्य आयोग द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी निर्धारित तरीके से पचास प्रतिशत जमा नहीं कर देता। उस राशि में से या बीस-पाँच हजार रुपये, जो भी कम हो।

धारा-19। अपील करते हैं। - राज्य आयोग द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति।

धारा 17 के खंड (ए) के उपखंड (आई) द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।

और विधि जो विहित की जाए:

बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग एक

तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील यदि यह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर इसे दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण था:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं, जिसे राज्य के आदेश के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता हो

आयोग, राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी निर्धारित तरीके से पचास प्रतिशत जमा नहीं कर देता। राशि या तीस-पाँच हजार रुपये में से जो भी कम हो।

धारा-24 ए। सीमा अवधि।

(1) जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग तब तक शिकायत स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि यह उस तारीख से दो साल के भीतर दायर नहीं की जाती है जिस दिन कार्रवाई का कारण बताया गया है।

उभरा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इसमें निर्दिष्ट अवधि के बाद शिकायत पर विचार किया जा सकता है।

उप-धारा (1), यदि शिकायतकर्ता जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं करने का पर्याप्त कारण था:

बशर्ते कि ऐसी किसी भी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या भारत आश्वासन निगम।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

जिला मंच, जैसा भी मामला हो, अपने कारणों को दर्ज करता है

इस तरह की देरी को क्षमा करें "।

(जोर दिया गया)

उपभोक्ता संरक्षण विनियमों के प्रासंगिक प्रावधान,

इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" रेग. - 10 . नोटिस जारी करना। - (1) जब भी उपभोक्ता मंच

शिकायत के संबंध में नोटिस जारी करने का निर्देश देता है,

अपील या पुनरीक्षण याचिका, जैसा भी मामला हो, इसके विपरीत

पक्ष (आई. ई. एस.)/प्रत्यर्थी (ओं), आम तौर पर ऐसी सूचना जारी की जाएगी।

30 दिनों की अवधि के लिए और 30 दिनों से कम समय के लिए भी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर।

(2) जब सेवा की धारणा को बढ़ाने का सवाल आता है,

30 दिनों की सूचना की आवश्यकता होगी।

(3) जब भी कूरियर द्वारा नोटिस जारी करने की मांग की जाती है

सेवा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कूरियर प्रतिष्ठित है।

(4) जब भी इस उद्देश्य के लिए कूरियर की नियुक्ति की जाती है

प्रभावी सेवा, प्रतिभूति जमा भी लिया जा सकता है।

(5) नोटिस के साथ, शिकायत की प्रतियां,

अपील के आधारों का ज्ञापन, जैसा भी मामला हो याचिकाएं

हो सकता है और दायर किए गए अन्य दस्तावेजों को इसके विपरीत पर पेश किया जाएगा।

पक्ष (आई. ई. एस.)/प्रत्यर्थी (एस)।

(6) विरोधी पक्ष या प्रत्यर्थी के आने के बाद

पंजीयक द्वारा जब तक कि यह एक प्रति का समर्थन नहीं करता है इसकी दूसरी तरफ सेवा की गई है।

रेग. - 14 . सीमा। (1) धारा 15,19 और 24 ए के प्रावधानों के अधीन,

निम्नलिखित मामलों में सीमा की अवधि इस प्रकार होगीः

आदेश की तिथि या आदेश की प्राप्ति की तिथि

मामला हो सकता

है; [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ii) धारा 22 ए के तहत एकतरफा आदेश को रद्द करने या चूक में शिकायत को खारिज करने के लिए आवेदन होगा -

यदि आदेश की तारीख या आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर दायर किया जाता है, तो रखरखाव योग्य;

(iii) धारा 22 की उप-धारा (2) के तहत समीक्षा के लिए आवेदन 30 के भीतर राष्ट्रीय आयोग को दायर किया जाएगा। आदेश या आदेश की प्राप्ति की तारीख से दिन, जैसा भी मामला हो;

(iv) किसी भी आवेदन को दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि जिसके लिए अधिनियम में सीमा की कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, इन विनियमों के नियम कार्रवाई के कारण या जानकारी की तारीख से तीस दिन के होंगे।

(2) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, उपभोक्ता मंच

उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन या याचिका दायर करने में देरी को माफ किया जा सकता है यदि इसके संतोष के लिए वैध और पर्याप्त कारण दिए गए हैं।

रेग. - 26 . विविध।

(1) उपभोक्ता मंच के समक्ष सभी कार्यवाहियों में, पक्षों और उनके वकीलों द्वारा इससे बचने का प्रयास किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों का उपयोगः

बशर्ते कि सिविल संहिता के प्रावधान

प्रक्रिया, 1908 लागू की जा सकती है जिसे अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में संदर्भित किया गया है।

(2) .....

(4) ..... (5) .....

(6) ....

(जोर दिया गया)

प्रश्न संख्या 1: क्या जिला मंच के पास न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी के रूप में शिकायत का जवाब दाखिल करने का समय 30 दिनों के अलावा 15 दिनों की अवधि से आगे बढ़ाने का अधिकार है।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

उपभोक्ता की धारा 13 (2) (ए) के तहत परिकल्पित

संरक्षण अधिनियम?

8. अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि शिकायत की प्रति जो विपरीत पक्ष को भेजी जानी है,

मामले का अपना पक्ष (या जवाब) देने के निर्देश के साथ होना (या शिकायत) 30 दिनों की अवधि के भीतर। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि 30 दिनों की ऐसी अवधि जिला मंच द्वारा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 15 दिनों से अधिक नहीं।

9. उप-अधिनियम की धारा 13 की धारा 2 (बी) (आई) में शिकायत पर विपरीत प्रतिक्रिया के आधार पर निर्णय लेने का प्रावधान है।

पक्षकार और शिकायतकर्ता और विरोधी पक्षकार का साक्ष्य, जहाँ शिकायत में निहित आरोपों को अस्वीकार या विवादित किया जाता है विरोधी पक्ष। उप-अधिनियम की धारा 13 की धारा 2 (बी) (ii) में प्रावधान है कि जहां विरोधी पक्ष द्वारा कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं की जाती है, तो शिकायत का निर्णय पक्ष द्वारा सामने लाए गए साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता। 10. उप-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की धारा 2 (सी) में आगे यह प्रावधान है कि जहां शिकायतकर्ता अदालत में पेश होने में विफल रहता है

विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने के तीन महीने की अवधि के भीतर और पाँच महीने के भीतर, यदि शिकायत के लिए वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है, तो शिकायत पर निर्णय लिया जाएगा। यह भी। यह प्रावधान करता है कि जिला फोरम द्वारा सामान्य रूप से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, और यदि इसे दिया जाना है, तो लागत लगाई जा सकती है, और आगे यह कि यदि शिकायत का निपटान इस तरह से प्रदान किए गए समय के बाद किया जाता है तो कारण दर्ज किए जाएंगे।

11. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लिखित, जिला फोरम उपभोक्ता विवादों का त्वरित निपटान प्रदान करने के लिए है। विधानमंडल द्वारा 2002 के अधिनियम 62 द्वारा धारा 13 (2) (सी) और 13 (3 ए) को शामिल करके इसे दोहराया गया है।

12. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 स्पष्ट रूप से

विचार करता है कि जिला मंच द्वारा समय कहाँ बढ़ाया जा सकता है, और कहाँ इसे बढ़ाया नहीं जाना है। जैसे, धारा 13 की उप-धारा (3ए) के तहत, जिला मंच के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, ऐसी स्थितियों में जहां शिकायत का निर्णय उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, शिकायत के निपटारे के समय जिला मंच द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए निर्दिष्ट अवधि से परे निर्णय लिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन केवल

निर्देशिका. वाक्यांश "प्रयास किया जाएगा", इरादा बनाता है

जवाब '30 दिनों की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि जो 15 दिनों से अधिक न हो जो जिला मंच द्वारा दी जाए'। विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष को 30 दिनों का समय मिलेगा, और इसके अलावा फोरम के विवेक पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और 15 दिन का समय मिलेगा। अधिनियम के तहत 45 दिनों से अधिक समय देने का कोई और विवेकाधिकार नहीं है। प्राकृतिक न्याय के प्रश्न पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में विधायिका द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "उप-धारा (1) और (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने वाली किसी भी कार्यवाही पर किसी भी न्यायालय में इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

उनका पालन नहीं किया गया है "। विधायिका इस बात से अवगत थी कि शिकायत पर एकतरफा निर्णय लिया जाएगा, या विपरीत पक्ष की प्रतिक्रिया के बिना, यदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदान किए गए समय के भीतर दायर नहीं किया जाता है, और ऐसे मामले में, विरोधी पक्ष नहीं करेगा

यह दलील लेने की अनुमति दी जाए कि उसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया था या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था। कोई और। व्याख्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) के उद्देश्य को विफल कर देगी।

14. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदान की गई अधिकतम 45 दिनों की अवधि का मतलब यह नहीं होगा कि शिकायतकर्ता के पास

अपना जवाब दाखिल करने के लिए हमेशा 45 दिनों की ऐसी अधिकतम अवधि का लाभ उठाने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 का विनियम 10 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि आम तौर पर ऐसा नोटिस विरोधी पक्ष को अपनी प्रतिक्रिया न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी को दाखिल करने के लिए दिया जाता है।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

30 दिनों की अवधि के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह 30 दिनों से भी कम हो सकता है। 15. अब, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों पर वापस विचार करते हुए कि क्या धारा 13 की उप-धारा 2 (ए) के प्रावधान को 30 दिनों के अलावा अधिकतम 15 दिनों की अवधि देने को अनिवार्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए या नहीं, हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर भी विचार कर सकते हैं जहां विधायिका सीमा की अवधि को बढ़ाने की अनुमति देने का इरादा रखती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 15 में दाखिल करने का प्रावधान है -

जिला फोरम के आदेश से 30 दिनों की अवधि के भीतर राज्य आयोग को अपील। हालाँकि, यह राज्य आयोग के पास 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद दायर की गई अपील पर विचार करने का विवेकाधिकार छोड़ता है, यदि वह संतुष्ट है कि निर्धारित अवधि के भीतर इसे दाखिल नहीं करने का पर्याप्त कारण था। इसी तरह, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के तहत 30 दिनों की अवधि के बाद राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर करने का विवेकाधिकार भी प्रदान किया गया है।

धारा 24 ए दाखिल करने के लिए 2 साल की सीमा अवधि प्रदान करती है।

16. उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 का विनियम 14 भी सीमा से संबंधित है। इसके अलावा, वही सीमा का प्रावधान करता है अपील (धारा 15 और 19 के तहत) और शिकायत (धारा 24 ए के तहत) पर विचार करते समय। विनियमन 14 के उप-विनियम (2) में दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त कारणों के लिए देरी को माफ करने का प्रावधान है।

17. विधायिका ने अपने विवेक से संबंधित प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट अवधि से आगे शिकायत या अपील दायर करने का प्रावधान किया है।

अधिनियम और विनियम, यदि पक्ष द्वारा पर्याप्त कारण दिया गया है, जो संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। 45 दिनों (30 दिन और 15 दिन) की विस्तारित अवधि के बाद शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) के तहत ऐसा कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यदि विधायिका इस तरह के प्रावधान को अनिवार्य नहीं बल्कि केवल निर्देशिका बनाना चाहती थी, तो जवाब दाखिल करने की अवधि को 45 दिनों से आगे बढ़ाने का प्रावधान था। प्रावधान किया गया होगा, जैसा कि शिकायत और अपील दायर करने के मामलों में प्रावधान किया गया है। एक विशिष्ट प्रावधान [2020] 5 एस. सी. आर. में एक अपवाद बनाने के लिए।

कानून का न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और यदि ऐसा है ऐसा करने पर, यह कानून बनाने या कानून में एक प्रावधान डालने के बराबर होगा, जिसकी अनुमति नहीं है।

धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत एक प्रावधान को विशेष रूप से लागू करके, एक विशिष्ट स्पष्टीकरण के साथ कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, जहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या उसका पालन किया गया है,

विधायिका स्पष्ट है कि (विरोधी पक्ष द्वारा) जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार करना इनकार या उल्लंघन नहीं होगा।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। धारा 13 (3) का यह प्रावधान अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) में निर्दिष्ट समय सीमा को मजबूत करता है।

18. लछमी नारायण बनाम भारत संघ (1976) 2 एस. सी. सी. 953 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "यदि प्रावधान इस प्रकार है -

निषेधात्मक या नकारात्मक भाषा, यह शायद ही कभी निर्देशिका हो सकती है, एक नकारात्मक रूप में आकस्मिक भाषा का उपयोग प्रति संकेत है

ब्याज कि प्रावधान अनिवार्य होना है "। इसके अलावा, क़ानून की अनिवार्य प्रकृति को बदलने के लिए कठिनाई एक आधार नहीं हो सकती है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा भिकराज जयपुरई बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 113 = (1962) 2 एस. सी. आर. 880 और फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम कस्टोडियन (2004) 11 एस. सी. सी. 472 में अभिनिर्धारित किया गया है। इस प्रकार कठिनाई प्रावधान की व्याख्या करने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है ताकि समय को बढ़ाया जा सके, जहां क़ानून

एक विशिष्ट समय प्रदान करता है, जिसका, हमारी राय में, अक्षर और भावना में पालन किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय ने रोहिताश कुमार बनाम ओम प्रकाश शर्मा (2013) 11 एस. सी. सी. 451 के मामले में पैराग्राफ 23 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

" 23. एक वैधानिक प्रावधान हो सकता है, जो बहुत बड़ा कारण बनता है

संबंधित पक्ष या किसी व्यक्ति के लिए कठिनाई या असुविधा, लेकिन न्यायालय के पास इसे पूरी सख्ती से लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि कठिनाई या असुविधा के कारण, द्वारा नियोजित भाषा के अर्थ को बदलने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है

विधायिका, यदि ऐसा अर्थ क़ानून के केवल अवलोकन पर स्पष्ट है। यदि भाषा सरल है और इसलिए केवल एक ही अर्थ की अनुमति देती है, तो उसे प्रभावी बनाना होगा, भले ही वह

यह कठिनाई या संभावित अन्याय का कारण बनता है। न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

समापन करते हुए, यह देखा गया कि "किसी व्यक्ति को होने वाली कठिनाई, प्रभावी और प्रभावी नहीं देने का आधार नहीं हो सकती है।

प्रावधान के प्रत्येक शब्द का व्याकरणिक अर्थ, यदि उसमें उपयोग की जाने वाली भाषा, स्पष्ट है। इसके अलावा, इस अदालत ने पोपत बहिरू गोवर्धन बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 10 एस. सी. सी. के मामले में यह निर्णय दिया है।

765 कि सीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है लेकिन यह

जब कानून इस प्रकार निर्धारित करता है तो इसे अपने पूरे जोश के साथ लागू किया जाना चाहिए और यह कि न्यायालय के पास न्यायसंगत आधारों पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही वैधानिक प्रावधान कठिनाई पैदा कर सकता हो या

हो सकता है कि वह 30 दिनों की अवधि या 15 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर जवाब दाखिल करने में सक्षम न हो। हमारे विचार में, यदि कानून ऐसा प्रदान करता है, तो इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि क़ानून के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून इक्विटी पर हावी है, क्योंकि इक्विटी केवल कानून का पूरक हो सकती है, और इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। इस न्यायालय ने लक्ष्मीनारायण आर. भट्टड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2003) 5 एस. सी. सी. 413 के मामले में कहा है कि "जब कानून और समानता के बीच टकराव होता है तो पहला प्रबल होगा।" पी. एम. लता बनाम केरल राज्य (2003) 3 एस. सी. सी. 541 में, इस न्यायालय ने कहा कि "समानता और कानून जुड़वां भाई हैं और कानून को समान रूप से लागू और व्याख्या की जानी चाहिए, लेकिन समानता लिखित या व्यवस्थित कानून पर हावी नहीं हो सकती है।" नसीरुद्दीन बनाम सीता राम अग्रवाल (2003) 2 एस. सी. सी. 577 में, इस न्यायालय ने कहा कि "एक ऐसे मामले में जहां वैधानिक प्रावधान स्पष्ट है।

और स्पष्ट रूप से, न्यायालय केवल उससे उत्पन्न होने वाले कठोर परिणामों के कारण एक अलग तरीके से इसकी व्याख्या नहीं करेगा। ई. पलानीसामी बनाम पलानीसामी (2003) 1 एस. सी. सी. 123 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "समान विचारों का कोई स्थान नहीं है जहां क़ानून में स्पष्ट प्रावधान हैं।" इसके अलावा, इंडिया हाउस बनाम किशन एन. लालवानी

(2003) 9 एस. सी. सी. 393, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "वैधानिक रूप से निर्धारित सीमा की अवधि का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और न्यायसंगत विचारों द्वारा इसमें ढील या छूट नहीं दी जा सकती है।"

इस प्रकार यह तय कानून है कि जहां अधिनियम का प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है, वहां न्यायसंगत पर किसी भी व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है।

जमीन।

20. यह सच है कि 'जल्दबाजी में न्याय न्याय को दफन कर देने के बराबर है'। लेकिन उसी सांस में यह भी कहा जाता है कि 'न्याय में देरी न्याय से इनकार है'। विधायिका ने बाद वाले को चुना है, और एक अच्छे कारण के लिए। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ चलता है, जो उपभोक्ता को त्वरित न्याय प्रदान करना है। यह पर्याप्त समय नहीं है।

शिकायत का जवाब दाखिल करने से विरोधी पक्ष को मना कर दिया गया है। यह सिर्फ इतना है कि 15 दिनों (30 दिनों की अवधि के बाद) से आगे समय बढ़ाने के विवेकाधिकार को कम कर दिया गया है और इसके परिणाम सामने आए हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (बी) (ii) के तहत प्रावधान किया गया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में विरोधी पक्ष को इस तरह के प्रावधान के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो उपभोक्ता विवादों का त्वरित और सरल निवारण है, किसी पक्ष को होने वाली कठिनाई को नजरअंदाज करना पड़ता है।

21. यह भी तर्क दिया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) की भाषा आदेश VIII के समान है।

इस संबंध में, जो उल्लेखनीय है वह यह है कि उपभोक्ता संरक्षण विनियमन, 2005 का विनियमन 26 स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि संहिता के प्रावधानों के उपयोग से बचने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, सिवाय ऐसे प्रावधानों के, जिन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों में संदर्भित किया गया है, जिनके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (4) में उल्लिखित विशिष्ट मामलों के संबंध में। यह ध्यान देने योग्य है कि संहिता के आदेश VIII नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल न करने का कोई परिणाम नहीं होता है

संहिता में इस प्रकार दिए गए समय के भीतर ऐसी गैर-फाइलिंग।

अब, संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते समय, यह उल्लेखनीय है कि आदेश VIII नियम 1 को आदेश VIII नियम 10 के साथ पढ़ा जाता है। यह निर्धारित करता है कि आदेश VIII नियम 1 के तहत प्रदान की गई 120 दिनों की अधिकतम अवधि वास्तव में अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्देशिका है।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

आदेश VIII नियम 10 में कहा गया है कि जहां आदेश VIII नियम 1 के तहत दिए गए समय के भीतर लिखित बयान दायर नहीं किया जाता है, वहां अदालत उसके खिलाफ फैसला सुनाएगी, या इस संबंध में ऐसा आदेश देगी।

सूट के लिए जैसा वह उचित समझता है "। इन प्रावधानों का एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत है कि न्यायालय के पास 120 दिनों की अधिकतम अवधि से अधिक समय देने का विवेकाधिकार छोड़ दिया गया है, जो असाधारण मामलों में हो सकता है। दूसरी ओर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) (बी) (ii) स्पष्ट रूप से परिणाम प्रदान करती है। विरोधी पक्ष के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाने वाली शिकायत का, यदि

विरोधी पक्ष दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है या विफल रहता है।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि संहिता के आदेश VIII नियम 10 में, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत दायर मुकदमों के लिए, एक परंतुक हैः

'एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों' के लिए जोड़ा गया है (2016 के अधिनियम 4 w.r.e.f के अनुसार। 23.10.2015), जो नीचे लिखा हैः

" बशर्ते कि कोई भी न्यायालय कोई आदेश नहीं देगा

दाखिल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के तहत दिए गए समय को बढ़ाएं।

लिखित कथन "

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक मुकदमों के लिए, आदेश VIII नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल करने का समय निम्नानुसार है - अनिवार्य, लेकिन सामान्य दीवानी मुकदमों के लिए ऐसा नहीं है। इसी तरह, हमारे विचार में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों के लिए भी, अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) के तहत प्रदान किए गए समय को अनिवार्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि निर्देशिका के रूप में।

एक बार जब निर्दिष्ट समय के भीतर शिकायत का जवाब दाखिल नहीं करने के लिए परिणाम प्रदान किए जाते हैं, और यह आगे प्रदान किया जाता है कि उप धारा के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने वाली कार्यवाही (1) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के (2) पर किसी भी न्यायालय में इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, विधायिका का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करने में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 2 (ए) का प्रावधान अनिवार्य है, न कि निर्देशिका।

22. यह देखने के बाद कि जिला मंच द्वारा शिकायतों पर निर्णय लेने में देरी हो रही है, विधायिका ने शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा प्रदान करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3 ए) को जोड़ा। इससे यह स्पष्ट है कि [2020] 5 एस. सी. आर. का इरादा स्पष्ट है।

23. एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम के. एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (2019) 12 एससीसी 210 में, यह न्यायालय वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत एक मामले के संबंध में संहिता के तहत लिखित बयान दाखिल करने से संबंधित मामले पर विचार कर रहा था। संहिता के आदेश 5 नियम 1, आदेश 8 नियम 1 और आदेश 8 नियम 10 में लाए गए संशोधनों पर ध्यान देने के बाद - ' वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों को उपरोक्त प्रावधानों में प्रावधानों को शामिल करके, इस न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट, निश्चित और अनिवार्य प्रावधान।

आदेश VIII नियम 1 और 10 के साथ पठित आदेश V को धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्ति का सहारा लेकर उसमें जो कहा गया है, उसके विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाणिज्यिक मुकदमों में लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय को 120 दिनों की अवधि से आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऐसे मुकदमों के संबंध में प्रावधान अनिवार्य होगा, न कि निर्देशिका। उक्त निर्णय की पुष्टि देश राज बनाम बालकिशन मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2020 की सिविल अपील No.433 में 20.01.2020 पर निर्णय लिया है।

24. फेयरग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम कस्टोडियन (2004) 11 एस. सी. सी. 472 में, यह न्यायालय विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों पर विचार कर रहा था और सवाल यह था कि क्या विशेष न्यायालय के पास उक्त अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत याचिका दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति है। जबकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उक्त प्रावधान अनिवार्य होगा, यह अनुच्छेद 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 13. यह निर्धारित करना अदालतों का काम नहीं है कि क्या अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत आपत्तियां दायर करने की इच्छा रखने वाले अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न दुर्भाग्यों को ध्यान में रखने के लिए 30 दिनों की अवधि बहुत कम है और न ही इस धारा को ऐसे कथित कारणों के कारण निर्देशिका माना जा सकता है।

समय की कमी "। न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

फिर टॉपलाइन शूज में इस अदालत के फैसलों पर विचार करने के बाद

लिमिटेड बनाम। निगम बैंक (2002) 6 एस. सी. सी. 33 और डॉ. जे. जे. मर्चेंट बनाम। श्रीनाथ चतुर्वेदी (2002) 6 एस. सी. सी. 635, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अधिनियम की धारा 4 (2) में आपत्ति दर्ज करने की अवधि एक

धारा की भाषा को देखते हुए और अधिनियम द्वारा प्रदान किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य प्रावधान।

25. कुछ अन्य मामले, जिन्हें द्वारा संदर्भित किया गया है

पक्षकारसभक लेल विद्वान वकीलक, हमर सुविचारित विचारमे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमसँ संबंधित वर्तमान मामलामे शामिल तथ्य आ मुद्दा पर कोनो प्रत्यक्ष प्रभाव नहि अछि, आ एहि प्रकारेँ, हुनका सभ पर एतऽ विचार आ विचार नहि कयल जा रहल अछि।

26. अब हम इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार कर सकते हैं,

जिनका संदर्भ आदेश में उल्लेख किया गया है।

27. इस न्यायालय की खंड पीठ ने इस प्रश्न को इसके बाद भेजा है

यह देखते हुए कि टॉपलाइन शूज़ (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णयों के बीच एक स्पष्ट संघर्ष है; कैलाश बनाम नन्हकू (2005) 4 एस. सी. सी. 480 और सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2005) 6 एस. सी. सी. 344 एक ओर; और डॉ. जे. जे. दूसरी ओर मर्चेंट (ऊपर) और एन. आई. ए. बनाम हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण (2015) 16 एस. सी. सी. 22।

28. टॉपलाइन शूज़ (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ,

प्राकृतिक न्याय, और यह भी कि 45 दिनों के भीतर शिकायत का जवाब दाखिल न करने का कोई परिणाम उपभोक्ता संरक्षण में प्रदान नहीं किया गया है। एक्ट करें।

उक्त निर्णय के पैरा 8 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" सभी तथ्यों पर विचार करना फोरम या आयोग का काम है।

और अधिनियम के प्रावधानों के साथ परिस्थितियाँ

एक दिशानिर्देश के रूप में जवाब दाखिल करने के लिए समय-सीमा प्रदान करना और फिर

अपने विवेकाधिकार का उतना ही प्रयोग करें जितना कि यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा कर सकता है

और ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के उद्देश्य को प्राप्त करना।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखते हुए "।

(जोर दिया गया)

यह सच है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के खंड 4 में, विधायिका ने प्रावधान किया है कि "

न्यायिक निकाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे ", हालांकि, सामान्य रूप से इसका पालन किया जाना चाहिए, न कि जहां इसे विशेष रूप से बाहर रखा गया है। उक्त निर्णय में, धारा 13 की उप-धारा (3) का न तो उल्लेख किया गया है और न ही उस पर ध्यान दिया गया है। वही आदेश

कि धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने वाली कोई भी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

इस आधार पर कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि के प्रावधानों पर विचार करते हुए

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) में कहा गया है कि उक्त प्रक्रिया को अपनाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है और शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन और 15 दिन का समय पर्याप्त और अंतिम होगा।

टॉपलाइन शूज (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय का यह भी विचार था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है।

यदि उत्तर दाखिल करने के लिए दिया गया समय कुल 45 की अवधि से अधिक है

दिन "। ऐसा देखते हुए, पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (बी) (ii) के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा, जिसमें यह प्रावधान है कि जहां विरोधी पक्ष खंड (ए) में दिए गए निर्दिष्ट समय के भीतर शिकायत का जवाब दाखिल करने में विफल रहता है, "जिला मंच शिकायतकर्ता द्वारा अपने संज्ञान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा।" इसके बाद उक्त निर्णय, 2002 के संशोधन अधिनियम 62 (डब्ल्यू. ई. एफ. 15.03.2003) द्वारा, विधायिका ने प्रावधान किया है कि जिला मंच उपभोक्ता विवाद को "साक्ष्य के आधार पर एकतरफा" निपटाने के लिए आगे बढ़ेगा। "एक्स पार्टी" शब्द को संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, जवाब दाखिल नहीं करने का परिणाम

इस प्रकार निर्धारित समय के भीतर शिकायत का प्रावधान उपरोक्त उप-धारा में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिस पर पीठ ने उपरोक्त मामले का निर्णय लेते समय ध्यान नहीं दिया है। 29. कैलाश बनाम नन्हकू (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनावी मुकदमे पर विचार कर रहा था।

1951 , और संहिता के आदेश VIII नियम 1 के तहत प्रावधान पर विचार करते हुए, इसने इसे निर्देशिका माना, और अनिवार्य नहीं। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, न्यायालय का विचार था कि "परिणाम प्रवाहित हो रहे हैं।

समय के गैर-विस्तार से कोड में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है। उक्त मामले में निर्णय का न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी के तहत प्रश्न पर कोई असर नहीं है।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

विचार, क्योंकि हमारे सामने वर्तमान संदर्भ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत है, जहां, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, परिणामों के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है।

पारित करते हुए, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 35 में, पीठ ने टॉपलाइन शूज़ (उपरोक्त) के मामले का उल्लेख किया, जहाँ धारा 13 का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को निर्देशिका माना गया था, और नहीं

अनिवार्य है। हमारे विचार में, टॉपलाइन शूज़ (उपरोक्त) के निर्णय की पुष्टि करने का इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि न्यायालय, उपरोक्त मामले में, संहिता के प्रावधानों के साथ काम कर रहा था न कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के साथ।

इस प्रकार हमारी राय है कि कैलाश बनाम नन्हकू (ऊपर) ने डॉ. जे. जे. मर्चेंट (ऊपर) के संबंध में निर्णय को खारिज नहीं किया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रावधान।

30. फिर से, सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के मामले में

(ऊपर), यह न्यायालय संहिता के आदेश VIII नियम 1 के तहत एक मामले पर विचार कर रहा था और पैराग्राफ 20 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 20 ..... "होगा" शब्द का उपयोग आम तौर पर प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति का संकेत है, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए

जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है या कानून के इरादे को ध्यान में रखते हुए, उसी को निर्देशिका के रूप में माना जा सकता है। विचाराधीन नियम को न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना होगा न कि उसे हराना होगा। प्रक्रिया के नियम न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं न कि उसे पराजित करने के लिए। का निर्माण

नियम या प्रक्रिया जो न्याय को बढ़ावा देती है और रोकती है

गर्भपात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रक्रिया के नियम न्याय की दासी हैं न कि उसकी मालकिन। वर्तमान में संदर्भ में, सख्त व्याख्या न्याय को पराजित करेगी।

इसके बाद, न्यायालय ने संहिता के आदेश VIII नियम 10 के साथ आदेश VIII नियम 1 के प्रावधानों को संदर्भित करने के लिए आगे बढ़े। एक सामंजस्यपूर्ण पर उक्त प्रावधान के निर्माण में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश के प्रावधान

संहिता का आठवाँ नियम 1 निर्देशिका होगा, और अनिवार्य नहीं होगा। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद 21 नीचे दिया गया हैः

" 21. इस प्रावधान को लागू करने में सहायता भी मिल सकती है।

आदेश 8 नियम 10 से जो प्रदान करता है कि जहां कोई भी पक्ष जिनसे नियम 1 या नियम 9 के तहत लिखित बयान की आवश्यकता होती है, वे अनुमति प्राप्त समय या [2020] 5 एस. सी. आर. के भीतर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं।

न्यायालय द्वारा निर्धारित, न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा, या मुकदमे के संबंध में ऐसा अन्य आदेश देगा जो वह उचित समझे। इस प्रावधान के तहत लिखित बयान दायर करने में विफल रहने पर अदालत को प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाने या ऐसा करने का विवेक दिया गया है।

मुक़दमे के संबंध में आदेश जैसा वह उचित समझता है। प्रावधान के संदर्भ में, "होगा" शब्द के उपयोग के बावजूद, अदालत को प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाने या न सुनाने का विवेकाधिकार दिया गया है, भले ही लिखित बयान दायर नहीं किया जाता है और इसके बजाय ऐसा आदेश पारित किया जाता है जो वह मुकदमे के संबंध में उचित समझे। आदेश 8 नियम 1 और नियम 10 के प्रावधान का अर्थ लगाने के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है। प्रभाव यह होगा कि नियम 10 आदेश 8 के तहत, अदालत को अपने विवेकाधिकार पर आदेश 8 नियम 1 में प्रदान की गई 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रतिवादी को लिखित बयान दायर करने की अनुमति देने की शक्ति होगी। आदेश 8 नियम 10 में कोई प्रतिबंध नहीं है कि नब्बे दिनों की समाप्ति के बाद, आगे का समय नहीं दिया जा सकता है। अदालत के पास "मुकदमे के संबंध में ऐसा आदेश देने की व्यापक शक्ति है जो वह उचित समझे।" स्पष्ट रूप से, इसलिए, आदेश 8 नियम 1 का प्रावधान लिखित रूप से फाइल करने के लिए 90 दिनों की ऊपरी सीमा प्रदान करता है।

कथन निर्देशिका है "।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) के प्रावधानों से संबंधित मामले, या ऐसे अन्य अधिनियम जिसमें धारा 13 (2) के समान प्रावधान है और परिणाम भी प्रदान किए गए हैं। 31. डॉ. जे. जे. मर्चेंट (उपरोक्त) का मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है और इसका निर्णय एक

इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ (जो टॉपलाइन शूज़ (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के बाद दी गई थी)। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए निर्धारित समय सीमा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, जैसा कि धारा 13 (2) (ए) के तहत प्रदान किया गया है, इसका सख्ती से पालन किया जाना है, यानी यह अनिवार्य है, न कि निर्देशिका। उक्त निर्णय के पैरा 13 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

" त्वरित सुनवाई के लिए, लिखित बयान या न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी को प्रस्तुत करने में 45 दिनों से अधिक का समय नहीं देने का यह विधायी आदेश।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

मामले के संस्करण का पालन किया जाना आवश्यक है। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो मामलों को निपटाने का विधायी आदेश तीन या पाँच महीने के भीतर हार जाएगा।

डॉ. जे. जे. मर्चेंट (उपरोक्त) के उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि निर्धारित समय सीमा अनिवार्य होगी और इस प्रकार आवश्यक होगी -

इसका कड़ाई से पालन करते हुए, इस न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 (जिसे बाद में 2002 के अधिनियम 62 के रूप में अधिनियमित किया गया था और लागू हो गया है) के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भी विचार किया। डब्ल्यू. ई. एफ. 15.03.2003)। इसकी मुख्य विशेषताएँ "उपभोक्ताओं को सरल, सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करना" थी।

और यह कि "मामलों का निपटान तेजी से होना चाहिए" और यह देखने के बाद कि "कई अड़चनें और कमियां भी सामने आई हैं।

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटान को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए, जिनमें शामिल थे "(iii) उस अवधि को निर्धारित करना जिसके भीतर शिकायतों को स्वीकार किया जाना है, नोटिस जारी किए जाने हैं। इस वस्तु के साथ यह ध्यान में रखते हुए कि धारा 13 की उप-धारा (2) (बी) (ii) में, "साक्ष्य के आधार पर" प्रारंभिक वाक्य को "एक पक्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

साक्ष्य का आधार "। इस संशोधन द्वारा 45 दिनों की निर्दिष्ट सीमा के भीतर शिकायत का जवाब दाखिल नहीं करने का परिणाम यह होना था कि जिला मंच उपभोक्ता विवाद को निपटाने के लिए आगे बढ़ेगा। शिकायतकर्ता द्वारा अपने संज्ञान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर, जहां विरोधी पक्ष समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहता है या विफल रहता है। शिकायतों के त्वरित निपटान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, न्यायालय ने देखा कि धारा 13 की उप-धारा (3 ए) को शामिल किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि शिकायत की सुनवाई जितनी जल्दी हो सके की जानी चाहिए और सामान्य रूप से 3 महीने के भीतर शिकायत का फैसला करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और 5 महीने के भीतर जहां वस्तुओं का विश्लेषण या परीक्षण आवश्यक था। उक्त उप-धारा के प्रावधान

यह देखने के बाद, और उपरोक्त संशोधनों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि जवाब दाखिल करने में 30 और 15 दिनों की समय सीमा शिकायत के लिए, अनिवार्य और सख्ती से पालन किया जाए।

20] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. एन. आई. ए. बनाम हिल्ली बहुउद्देशीय शीतागार (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ का निर्णय, जिस पर विचार किया गया है डॉ. जे. जे. मर्चेंट (ऊपर) और कैलाश बनाम नन्हकू (ऊपर) के मामलों में विचारों के टकराव को ध्यान में रखते हुए, एक ही मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्देश आदेश पारित किया गया था।

संहिता और उपभोक्ता के प्रावधानों पर विचार करने के बाद

संरक्षण अधिनियम, संदर्भ का उत्तर दिया गया था कि "डॉ. जे. जे. मर्चेंट में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून। (ऊपर) प्रबल होना चाहिए "। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 25 और 26 में निम्नलिखित देखा गयाः

" 25. इसलिए हमारा विचार है कि जे. जे. मर्चेंट में दिया गया निर्णय उचित है और इसलिए हम दोहराते हैं

यह विचार कि जिला मंच एक और अवधि प्रदान कर सकता है

15 विरोधी पक्ष को अपना पक्ष दर्ज करने या जवाब देने के लिए दिन

और उससे आगे भी नहीं।

26. जे. जे. मर्चेंट में निर्धारित कानून का पालन करने का एक और कारण है। जे. जे. मर्चेंट को 2002 में चुना गया था, जबकि कैलाश को 2005 में चुना गया था। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, कैलाश से निपटते समय, इस न्यायालय को जे. जे. मर्चेंट में व्यक्त विचार का सम्मान करना चाहिए था क्योंकि जे. जे. मर्चेंट में दिया गया निर्णय समय से पहले का था। उपरोक्त कानूनी स्थिति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और इसलिए, हमारी राय है कि जे. जे. मर्चेंट में व्यक्त विचार का पालन किया जाना चाहिए।

33. हालाँकि, उपरोक्त निर्णय के बाद, आगे कोई संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इस संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़े हैं और हमारा मानना है कि डॉ. जे. जे. मर्चेंट (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार सही है। प्रश्न संख्या 2: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13 के तहत 30 दिनों की सीमा का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा?

34. निर्धारण के लिए सवाल यह है कि क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत उपभोक्ता द्वारा जवाब दाखिल करने की सीमा है।

शिकायत का विरोधी पक्ष विरोधी पक्ष द्वारा शिकायत के नोटिस की प्राप्ति या शिकायत की प्राप्ति की तारीख से शुरू होगा।

शिकायत की एक प्रति के साथ नोटिस।

न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी। लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

35. एन. आई. ए. बनाम हिल्ली के इसी मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के दिनांकित 04.12.2015 के फैसले के पैराग्राफ 12 में,

बहुउद्देशीय शीत भंडारण (उपरोक्त), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 30 दिनों की सीमा के प्रारंभिक बिंदु का उल्लेख करते हुए, यह माना गया है कि "पूरा मुद्दा उस अवधि के आसपास केंद्रित है जिसके भीतर प्रतिद्वंद्वी को एक शिकायत के अनुसरण में जिला मंच को अपना पक्ष देना होता है, जिसे निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है।

अधिनियम की धारा 12। जिला फोरम द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर, यदि शिकायत अधिनियम की धारा 12 के तहत स्वीकार की जाती है, तो

शिकायत की प्रति विरोधी पक्ष को दी जानी है और अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, विरोधी पक्ष को शिकायत की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मामले का अपना पक्ष देना होगा।

36. हालाँकि, इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने एक आदेश दिनांक 18.01.2017 द्वारा इसी अपील में सिविल अपील के रूप में पारित किया।

नहीं। 10941-10942 2013 का एन. आई. ए. बनाम हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण ने यह विचार व्यक्त किया है कि डॉ. जे. जे. में की गई घोषणा।

व्यापारी का पैमाना इस प्रभाव का है कि उक्त अवधि की गणना विरोधी पक्ष या शिकायत द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख से की जानी है।

अधिनियम की धारा 13 में निर्धारित किया गया निर्णय आधिकारिक रूप से लिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार यह प्रश्न एक आधिकारिक निर्णय के लिए हमारे सामने रखा गया है। 37. इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, हम पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और बनाए गए विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण कर सकते हैं।

इसके नीचे। उप-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 की धारा (2) (ए) और (2) (बी) निर्दिष्ट करती है कि यह शिकायत की प्रति है जो

विरोधी पक्ष को मामले का अपना पक्ष देने का निर्देश दिया गया 30 दिनों की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, 15 से अधिक नहीं

जवाब दाखिल करने की अवधि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 का विनियम 10 भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, जो

शिकायत की प्रति के साथ। विनियम 10 (5) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "नोटिस के साथ, शिकायत की प्रतियां, ज्ञापन। अपील के आधार, याचिकाएं और अन्य [2020] 5 एस. सी. आर.

दाखिल किए गए दस्तावेज़ विरोधी पक्ष (आई. ई. एस.)/प्रत्यर्थी (ओं) को दिए जाएंगे। वही यह भी स्पष्ट करेगा कि यह शिकायत की एक प्रति की सेवा पर है कि दायर करने के लिए सीमा की अवधि विरोधी पक्ष द्वारा प्रतिक्रिया शुरू होगी।

" प्रत्येक समन के साथ शिकायत की एक प्रति होगी। उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करते हुए, नाहर एंटरप्राइजेज बनाम हैदराबाद ऑलविन लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। (2007) 9 एस. सी. सी. 466 ने पैराग्राफ 8,9 और 10 में कहा हैः

(8) विद्वान सलाह सही प्रतीत होती है। जब किसी प्रतिवादी को अदालत में पेश होने और अपना लिखित बयान दायर करने के लिए समन भेजा जाता है, तो अदालत की ओर से आदेश 5 नियम 2 सी. पी. सी. के संदर्भ में शिकायत और उससे जुड़े अन्य दस्तावेजों की एक प्रति भेजना अनिवार्य है।

(9) आदेश 5 नियम 2 सी. पी. सी. निम्नानुसार हैः

" 2. समन के साथ संलग्न शिकायत की प्रति। — प्रत्येक समन होगा

(10) विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं इस प्रश्न को संबोधित नहीं किया कि एक प्रतिवादी, वाद और अन्य दस्तावेजों की प्रति के अभाव में, अपना लिखित दाखिल कैसे कर पाएगा। बयान।

39. यहां तक कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में भी, धारा 31 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि "मध्यस्थता निर्णय दिए जाने के बाद, एक

हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्ष को दी जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन किया जाना है। पुरस्कार का वितरण उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती देने के लिए सीमा निर्धारित करता है। उक्त अधिनियम की धारा 31 (5) की प्रकृति और दायरे की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भारत संघ बनाम टेको त्रिची इंजीनियर्स और

ठेकेदार, (2005) 4 एस. सी. सी. 239, ने पैराग्राफ 6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

(6) मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और सामग्री अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदान की जाती है। मध्यस्थता पुरस्कार न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी में तैयार किया गया है।

लिमिटेड। वी. हिल्ली मल्टीपर्पोज़ कोल्ड स्टोरेज पी. वी. टी. लिमिटेड। [वाइन सारन, जे।]

अधिनियम की धारा 31 द्वारा निर्धारित तरीके पर हस्ताक्षर और तिथि निर्धारित की जानी चाहिए। उप-धारा (5) के अनुसार, "मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने के बाद, प्रत्येक पक्ष को एक हस्ताक्षरित प्रति दी जाएगी"। "पक्ष" शब्द को अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष"। परिभाषा को दिए गए रूप में पढ़ा जाना चाहिए जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो। धारा 34 की उप-धारा (3) के तहत 3 महीने की सीमा उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन "वह आवेदन करने वाले पक्ष" को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त से, हम जो देखते हैं वह यह है कि जहां भी सीमा प्रदान की जाती है, या तो प्रतिक्रिया/लिखित बयान दायर करने या अपील दायर करने के लिए, यह शिकायत या आदेश/पुरस्कार की प्रति है जो संबंधित पक्ष को दी जानी है जिसके बाद ही सीमा की अवधि शुरू होगी।

पहली तारीख और उसके बाद नहीं, अन्यथा यदि बाद में किसी भी समय उठाए जाने की अनुमति दी जाती है, तो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा, जो उपभोक्ता विवादों का सरल और त्वरित निवारण प्रदान करना है। 41. निष्कर्ष के लिए, हम मानते हैं कि पहले प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि जिला मंच के पास शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों की अवधि से आगे समय बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के तहत परिकल्पित 30 दिनों के अतिरिक्त और दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि 464 की धारा 13 के तहत 30 दिनों की सीमा का प्रारंभिक बिंदु

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सूचना की प्राप्ति की तारीख से विरोधी पक्ष द्वारा शिकायत के साथ होगा, न कि केवल

शिकायत की सूचना की प्राप्ति।

यह निर्णय संभावित रूप से संचालित करने के लिए है।

संदर्भित प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

बी.

अंकित ज्ञान

संदर्भ का जवाब दिया गया